

APPENDIX A : CERTIFICATE FORMAT

CERTIFICATE-1 (प्रमाण पत्र-1)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (UPSC/UPST/GDSC/GDST)

जिला दिनांक :

तहसील

आवेदन क्र.

प्रमाण पत्र क्र.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.

सुपुत्र/सुपुत्री/श्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

उ.प्र. राज्य की जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उ.प्र.) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कु. तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम/मोहल्ला

तहसील नगर जिला में सामान्यतः रहता है।

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

Note : Certificate will be accepted only in latest U.P. Government format.

CERTIFICATE-2 (प्रमाण पत्र-2)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (UPBC/GDBC)

जिला
 तहसील
 आवेदन क्र.
 प्रमाण पत्र क्र.

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
 सुपुत्र/सुपुत्री/श्री
 माता का नाम
 निवासी
 ग्राम
 तहसील
 जिला

उ.प्र. राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रु. या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

नोट : अस्थिर्धन ध्यान दें कि उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण मार्च 31, 2025 के पश्चात का बना होना आवश्यक है क्योंकि क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले अस्थिर्धनों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

Note : Certificate will be accepted only in latest U.P. Government format.



CERTIFICATE-3 (प्रमाण पत्र-3)

उत्तर प्रदेश सामान्य निवासी के पुत्र/पुत्री (UPGD/GDSC/GDST/GDBC)

(उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित जिस जिले के माता/पिता निवासी हैं)

जिला

दिनांक :

तहसील

आवेदन क्र.

प्रमाण पत्र क्र.

सम्बन्धित लेखपाल की जांच आख्या दिनांक के आधार पर तदनुसार

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.

सुपुत्र/सुपुत्री/श्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

1. उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उसका वर्तमान पता मकान नम्बर ग्राम/मोहल्ला तहसील जनपद उत्तर प्रदेश है।
2. उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

Note : Certificate will be accepted only in latest Government format.

CERTIFICATE-4 (प्रमाण पत्र-4) (Sub-Category UPFF)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)
अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)
निवासी ग्राम तहसील नगर
जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के
आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कु. (आश्रित अभ्यर्थी
का नाम) पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही
प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

पूरा नाम एवं पदनाम

मुहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

Note : Proforma of certificate may be changed according to latest Govt. order.

CERTIFICATE-5 (प्रमाण पत्र-5)

उत्तर प्रदेश/सेनादल (Sub-Category UPAF)

(अंतिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता अथवा माता का नाम)
 निवासी गाँव/शहर तहसील जिला
 उत्तर प्रदेश, के दिनांक को सेवानिवृत्त (Superannuated) युद्ध में मारे गये/अपंग हो गये/उत्तर प्रदेश में वर्तमान
 में तैनात है। वे भारतीय थलसेना/जलसेना/वायुसेना के स्थान दिनांक से
 दिनांक तक कार्यरत थे/हैं। अभ्यर्थी Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence,
 Government of India द्वारा अधिसूचित प्राथमिकताओं में से प्राथमिकता नंबर (Please enter a valid priority number applicable to
 this candidates per Govt. order No. F.No.6(1)/2017/D(Res.II) dated November 30, 2017)
 (केवल शब्दों में/only in word) के अंतर्गत अर्ह है।

दिनांक

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

मुहर

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (अभ्यर्थी) निवासी उत्तर
 प्रदेश गाँव/शहर तहसील जिला
 उपरोक्त सेना दल के सेवानिवृत्त (Superannuated) युद्ध में मारे गये या अपंग हो गये कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं/थे,
 के पुत्र/पुत्री हैं अथवा प्रवेश परीक्षा की तिथि को उत्तर प्रदेश भारतीय थलसेना/जलसेना/वायुसेना में कार्यरत थे/हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

मोहर

नाम

CERTIFICATE-6 (प्रमाण पत्र-6)**(Sub-Category UPHC) काउन्सिलिंग में जमा करने हेतु**

दिव्यांग जन के अधिमान के लिए प्रमाणपत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

जिला

दिनांक :

तहसील

आवेदन क्र.

प्रमाण पत्र क्र.

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (अभ्यर्थी)
 पुत्र/पुत्री श्री (पिता का नाम) नीचे लिखे कारणों से शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।
 (केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही कारण लिखें)

2. अभ्यर्थी की उपरोक्त दिव्यांगता को निम्न प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(कृपया ✓ का निशान लगायें)

Type - I: Minimum 40% permanent Visual impairment	
Type-II: Minimum 40% permanent Locomotors disability	
Type-III: Minimum 40% permanent Speech Hearing impairment	

3 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दिव्यांग स्थिति अभ्यर्थी के इन्जीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

नाम

दिनांक

मुहर

CERTIFICATE-7 (प्रमाण पत्र-7)

CHARACTER CERTIFICATE FROM THE HEAD OF THE INSTITUTION LAST ATTENDED

This is to certify that Sri/Km. _____
has been a bonafide student of from _____ to _____ and has
passed/appeared at the _____
examination in the year _____

Proctorial reports:

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Has he/she involved himself/herself if any act of indiscipline? | Yes/No |
| 2 | Has he/she been warned, Fined or punished for any act of indiscipline? | Yes/No |
| 3 | Has he/she been restricted or expelled from Hostel of College for any reason? | Yes/No |
| 4 | Has he/she been involved in any act of indiscipline outside the College campus like group clashes or fraction fights etc. | Yes/No |
| 5 | Has he/she been addicted to drugs or intoxicants? | Yes/No |

General remarks (Please state your assessment of the student)

Date:

Signature

Name

Designation

CERTIFICATE-8 (प्रमाण पत्र-8)**FORMAT FOR MEDICAL CERTIFICATE**

(To be obtained from a Chief Medical Officer or Medical Officer of MMUT, Gorakhpur)

This certificate has to be submitted at the time of admission in the University

Name of Candidate:		Age:		Sex:		Weightage:	
Roll No.:		Category:		Subcategory and Rank Position:			
Father's Name :							
(To be filled in by the Candidate)							
L.T.	M.I.	VISION	Colour Vision:				
Height	Weight		Chest	Abdomen	Without glass: With glass:		
History		Operation		Koch's Colic's		B.P.	
		Seizures		Asthma		Piles Diabetes	
EXAMINATION	Pulse		Tonsil		DNS		Hernia
	Pallor		L.Nodes		CSOM		Hydrocele
	Cardiovascular		CNS				
	Respiratory		GIT				
Genitourinary		Others					
Is the candidate physically handicapped/Disabled : (Please tick) Yes/No							
If yes, type of handicap/disability: <input type="checkbox"/> Type-I: Minimum 40% permanent Visual impairment							
(Please tick ✓ the type of handicap/disability) <input type="checkbox"/> Type-II: Minimum 40% permanent Locomotor disability							
<input type="checkbox"/> Type-III: Minimum 40% permanent speech and Hearing impairment							
Any other finding:							
Certified that the candidate is physically fit/unfit/temporally disqualified to pursue engineering studies							

Signature of Candidate

Signature of the issuing Medical Officer (with Official stamp)

CERTIFICATE-9 (प्रमाण पत्र-9)**UNDERTAKING BY CANDIDATE FOR MEDICAL FITNESS**

I certify that I have no such physical handicap/disability which would hinder the pursuit of studies in the Programs in which I am seeking admission. If at any stage it is found that I have a physical handicap/ disability which would hinder the pursuit of studies in the Programs in which I am seeking admission then my admission will be liable to be cancelled. I will produce medical fitness certificate from a C.M.O./C.M.S. at the time of my joining the University.

Dated:

Counter Signed by Father/Guardian

Signature of the Candidate

CERTIFICATE-10 (प्रमाण पत्र-10)

अखिल भारतीय सेवा के उ.प्र. कैंडर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम)
 पद नाम विभाग का नाम कैंडर संख्या
 अखिल भारतीय सेवा के उ.प्र. कैंडर के अधिकारी/कर्मचारी है तथा वर्तमान में इस कार्यालय में कार्यरत हैं। यह प्रमाणपत्र इनके पुत्र/पुत्री
 (अभ्यर्थी का नाम) को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु
 प्रदान किया जाता है।

दिनांक

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर

नाम एवं पद नाम

मुहर

CERTIFICATE-11 (प्रमाण पत्र-11)

(Income Certificate) (काउन्सिलिंग में जमा करने हेतु)

क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की जांचरिपोर्ट के आधारपर प्रमाणित किया जाता है कि
 आवेदक के अभिभावक/माता/पिता का नामद्व सुपुत्र
 निवासी/ग्राम परगना तहसील
 नगर जिला राज्य
 के स्वयं की मासिक आय रूपया तथा वार्षिक आय रूपया है।
 लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार आय का स्रोत है।

स्थान

तहसीलदार

दिनांक

मुहर

नोट : अभ्यर्थी ध्यान दे कि उ.प्र. के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाणपत्र मार्च 31, 2025 के पश्चात का बना हुआ होना आवश्यक है।

कार्यालय-जाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-॥ दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

CERTIFICATE – 13A

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
- II एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

कार्यालय-जाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

CERTIFICATE-13B

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
 ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
 थाना ब्लॉक तहसील
 जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
 प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

APPENDIX B : CERTIFICATE FORMAT FOR NRI CANDIDATE

FORMAT FOR NRI CERTIFICATE FROM EMBASSY

(In the Letter head of the Embassy office)

No.

Dated :

CERTIFICATE

This is to certify that (Sponsor's name)
holder of Indian passport no. dated issued at
(Place of issue) is residing in this country since He/She is a
Non-Resident Indian. This Certificate is being issued upon his /her request for the purpose of admission at Madan
Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur-273010 (UP), India

(Signature, Designation & Seal of the issuing authority)

Note :

1. The NRI Certificate given by embassy in a different format is also accepted.
2. Affidavit of NRI Certificate is not accepted.

FORMAT FOR CERTIFICATE FROM THE EMPLOYER

(In the Letter head of the Company / Organization)

No.

Dated :

This is to certify that (Sponsor's name)
holder of Indian passport no. dated issued at
(Place of issue) is an employee of our company/organization
(date of joining) in the position of (designation).
..... and drawing a monthly salary of This Certificate is
being issued upon his/her request for the purpose of admission at Madan Mohan Malaviya University of
Technology, Gorakhpur-273010 (UP), India.

(Signature, Designation & Seal of the issuing authority)

FORMAT FOR UNDERTAKING BY THE SPONSOR

No.

Dated :

CERTIFICATE

This is to certify that I, (Sponsor's name)
holder of Indian passport no. dated
issued at (Place of issue) will be bearing all
expenditures towards the B.Tech. of (Name of Student Sponsored)
for complete duration of the course / till the course is complete, whichever is later.

Sponsor's Name & Signature

APPENDIX C : FEE DETAILS FOR SESSION 2025-26

Programme wise fee details for the session 2025-26 of undergraduate first year, undergraduate second year (lateral entry) students will notify separately on the university website before the start of the counseling process.